

# रेरा ने चलाया बिल्डरों के 88 प्रोजेक्ट पर कोड़ा

**कायदे-कानून की अनदेखी कर अपार्टमेंट बनाने का मामला**

संवाद व्यापे, पटना : रियल इंस्टेट रेगुलेटरी अधीरीटी (रेरा) की आंखों में धूल झोकने को दर्जनों बिल्डरों ने जो खेल किया है, उसमें वह खुद फँसते नजर आ रहे हैं। निवेशकों को प्रॉपर्टी पर कब्जा देने के लिए उन्होंने जो अनुबंध किया है, उसकी तारीख तो निकल चुकी है या निकलने वाली है, जबकि रेरा में जमा कराए गए दस्तावेजों में यह तिथि डेढ़-दो साल बाद की बताई गई है। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि दोनों तिथियों के अंतर का हजारना बिल्डरों को भरना पड़ेगा। यही नहीं, रेरा ने रजिस्ट्रेशन की तिथि बीतने के बावजूद अधूरे प्रोजेक्ट और नए प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं करने वाले 88 बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली है।

**200 बिल्डरों ने किए अधूरे आवेदन**  
रेरा में अब तक 598 बिल्डर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर चुके हैं। कुल आवेदन में अब तक पड़ताल के बाद 120 बिल्डरों का प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। शेष बचे 478 बिल्डरों में कीब 200 बिल्डर ऐसे हैं जिन्होंने आधे-अधूरे आवेदन किए हैं। महत्वपूर्ण यह है कि रेरा के बार-बार निर्देश के बावजूद आवेदन की त्रुटियों में सुधार नहीं कर रहे हैं।

दअसल, रजिस्ट्रेशन आवेदन में बिल्डरों को वह भी बताना होता है कि वह अपना प्रोजेक्ट कब तक पूरा कर रहे हैं। दर्जनों बिल्डरों ने वर्ष 2018 व 2019 के बीच प्रोजेक्ट पूरा होने की जानकारी दी है। यह तो रहा वह तथ्य जो बिल्डरों ने रेरा को बताया है। हकीकत इससे भी जुदा है। हकीकत में कई बिल्डरों ने निवेशकों के साथ किए अनुबंध में कहा है कि वह वर्ष 2016 वा वर्ष 2017 तक उन्हें फैलेट पर कब्जा दे देंगे। कब्जा में देर



**598** बिल्डर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर चुके हैं

478 बिल्डरों में करीब 200 बिल्डर ऐसे हैं जिन्होंने आधे-अधूरे आवेदन किए

दर्जनों बिल्डरों ने वर्ष 2018 व 2019 के बीच प्रोजेक्ट पूरा होने की जानकारी

## रडार पर कंपनियां

रेरा ने जिन बिल्डरों के 88 प्रोजेक्टों पर कोड़ा चलाया है। उनमें प्रयाग इंजीकॉन एंड प्रॉपर्टी, निशान इंफ्रास्ट्रक्चर, रघुपति इंफ्राटेक, क्रेट्स इफोहोम्स, क्रेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, साइनसिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, श्रीओम साई ग्रुप, टीरसीडब्ल्यू रियल टी, श्रीगणेश डेवलपर्स, रवायायर वन एसोसिएट्स, पाटलिपुत्रा इंटरप्राइजेज, अपना आशियाना होम्स, आशीर्वद इंजीकॉम, श्रीराम रियल इंस्टेट, कुटीर हाउसिंग डेवलपर्स एंड कंसलटेंट, कश्यप कर्स्टक्षन एंड डेवलपर्स, सुपरसिटी बिल्डर्स, राज कर्स्टक्षन, अजय रजवानी, साई डेवलपर्स, आकृति बिल्डर्स, अपर्णा आकिंटेक एंड इंजीकॉन, अपर्णा आकिंटेक, रेडिफाई लोयला, श्रीराम कर्स्टक्षन, पटना ग्रीन हाउसिंग, रियलाइज रीलिकॉन, औरा कर्स्टक्षन, अनुपमा डेवलपर्स, मुठेश्वरी मल्टीकॉन और साइ डेवलपर्स के नाम शामिल हैं।

की शिकायतें भी रेरा में अब दर्ज की जाने लगी हैं। नियमों की बात करें तो अनुबंध को ही प्रोजेक्ट समाप्ति की तिथि माना जाएगा और इस तरह निवेशक बिल्डरों से हजारों प्राप्त करने के हकदार होंगे। उदाहरण के लिए यदि किसी निवेशक के साथ बिल्डर ने वर्ष 2016 में कब्जा देने का अनुबंध किया है और रेरा को उसने प्रोजेक्ट पूरा करने की तिथि वर्ष 2019 बताई है तो बिल्डर को कीब तीन साल तक निवेशक की वह राशि चुकानी होगी, जो निवेशक ने बैंक ऋण के रूप में अदा की था कर रहा है। यदि किसी केस में निवेशक बिल्बांब के चलते फैलैट खरीदने से इनकार करता है और अपनी राशि की वापसी की मांग करता है तो बिल्डर को मार्जिनल रेट ऑफ लैंडिंग (एमआएल) की प्रचलित ब्याज दर से भुगतान करना होगा। इस दर में यो फीसद राशि अतिरिक्त जोड़ी जाएगी।